सूचना और प्रसारण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों का युक्तिकरण व्यय विभाग द्वारा निर्देशित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की चार केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें इस प्रकार हैं :

सूचना क्षेत्र

सूचना क्षेत्र में ,एक सतत स्कीम है अर्थात

(i) विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)

यह स्कीम सरकारी संदेशों के संचार और सूचना प्रसार के उद्देश्य से प्रयासों में तालमेल प्राप्त करने के उद्देश्य से सूचना क्षेत्र की मीडिया इकाइयों की सभी समान गतिविधियों को एक साथ रखकर तैयार की गई है ताकि सरकारी संदेशों के अधिकतम प्रभाव को प्राप्त हो सके। इस स्कीम के तहत ,मंत्रालय सरकार के विभिन्न प्रमुख और अन्य **कार्यक्रमों को उजागर करने के लिए एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण के साथ एक बहु-आयामी प्रचार अभियान चलाता है ।**

फिल्म क्षेत्र

फिल्म क्षेत्र में ,एक सतत स्कीम है अर्थात

i) फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)

चल रही यह स्कीम समारोहों ,फिल्म बाजारों ,फिल्मों के निर्माण और अभिलेखीय सामग्री के संग्रह के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने की परिकल्पना करती है । जिन कार्यकलापों की परिकल्पना की गई है उनमें सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि निजी क्षेत्र इसमें पहल नहीं करेंगे।

प्रसारण क्षेत्र

प्रसारण क्षेत्र के दो मुख्य घटक हैं , अर्थात प्रसार भारती और मुख्य सचिवालय।

क प्रसार भारती की स्कीम :

(i) प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)

इस चल रही स्कीम का मुख्य उद्देश्य प्रसार भारती के प्रसारण अवसंरचना के नेटवर्क को डिजिटल बनाना है। प्रसारण नेटवर्क जिसमें ट्रांसमीटर ,स्टूडियो और स्टूडियो एवं ट्रांसमीटर के बीच की कड़ी शामिल है ,को प्रसार भारती के डिजिटल प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में प्रसार भारती ने नौवीं योजना के प्रारंभ से ही पहल की थी । उसके बाद इस क्षेत्र में प्रगति जारी है।

ख .मुख्य सचिवालय स्कीमें:

(i) भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता

चल रही इस स्कीम का उद्देश्य वित्तीय सहायता और जागरूकता अभियान के माध्यम से सामुदायिक रेडियो अभियान को मजबूत करना है।